भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2237
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2024
14 श्रावण, 1946 (शक)

पेशे के रूप में खेल

2237. श्री टी. आर. बालू:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में खेलों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि युवाओं का खेलों में विश्वास हो और उन्हें खेलों को अपने पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल के प्रोत्साहन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार विभिन्न खेल प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है।

प्रतिभा पहचान और विकास घटक के भाग के रूप में, युवा प्रतिभावान एथलीटों को दो प्रमुख पहल अर्थात् खेलो इंडिया प्रतिभा विकास (केआईटीडी) और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (केआईआरटीआई) के माध्यम से पहचाना और तैयार किया जाता है।

खेल से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को उनके करियर के विकास में सहायता देने, उन्हें प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके अधिक रोजगारपरक बनाने और हमारे खेल इकोसिस्टम में कौशल की कमियों को दूर करने के लिए रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स इम्पावरमेंट ट्रेनिंग (आरईएसईटी) नामक एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना और शिक्षा, करियर योजना, मार्गदर्शन, रोजगार सहायता और नेटवर्किंग अवसरों के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने में सहायता करना है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) नामक स्वायत्त निकाय में कोचों का एक अलग संवर्ग है। साई में भर्ती किए गए सभी कोच खिलाड़ी हैं। प्रवेश संवर्ग में अर्थात् सहायक कोच के लिए 5% पद ओलंपियनों के लिए और 1% पैरालंपियनों के लिए आरक्षित हैं। कोच के ग्रेड में 3% पद ओलंपिक पदक विजेता अथवा 02 ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए और 2% पदक विजेता पैरालंपियनों के लिए आरक्षित है।

खेल कोटा के तहत आरक्षण खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/01/2013-स्था.(डी) के तहत जारी समेकित अनुदेशों द्वारा शासित है। भारत सरकार 'खेल कोटा नीति' के अनुसार समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' में सीधी भर्ती की रिक्तियों की 5% रिक्तियां मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, खेल कोटा के तहत प्रदान की जाने वाली नौकरियों की संख्या का कोई केंद्रीकृत रखरखाव नहीं किया जाता है।

****